दिनांक 30.09.2024

प्रेस विज्ञप्ति 38/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 30.09.2024 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री के0एन0 दारूवाला (केकी नासेरवान्जी दारूवाला) (आईपीएस–1958) सेवानिवृत्त अपर निदेशक कैबिनेट सचिवालय नई दिल्ली के दिनांक 27.09.2024 को एवं श्री अशोक कुमार मिश्रा (आईपीएस–एसपीएस–1985) सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक के दिनांकः 16.09.2024 को हुये निधन पर उनकी स्मृति में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर **श्री प्रशान्त कुमार** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

दिनांक 30.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 39/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना स्वार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 30.09.2024 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरैनिया बाग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त साजिद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्वार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना स्वार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साजिद निवासी ग्राम अलीनगर उत्तरी थाना स्वार जनपद रामपुर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 09 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29/30.09.2024 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खोड़ा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1– पिन्टू

उर्फ नेवला घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आफताफ 3–सौरभ 4–कृष्णा उर्फ चौगा 5–संजीव उर्फ मोटा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 09 मोबाइल फोन, चोरी की 07 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त पिन्टू के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त आफताब के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त कृष्णा उर्फ चौगा के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–पिन्टू उर्फ नेवला निवासी पाकेट सी/2 मयूर विहार फेस–3 दिल्ली।

2–आफताफ निवासी घडौली मयूर विहार फेस–3 थाना गाजीपुर दिल्ली।

3–सौरभ निवासी घढ़ौली मयूर विहार फेस–3 थाना गाजीपुर दिल्ली।

4–कृष्णा उर्फ चौगा निवासी पाकेट बी–6 मयूर विहार फेस–3 थाना गाजीपुर दिल्ली।

5–संजीव उर्फ मोटा निवासी घढ़ौली मयूर विहार फेस–3 थाना गाजीपुर दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट/चोरी के 09 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 07 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 25 बण्डल तांबे का तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29/30.09.2024 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सन्तपुर नगर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–महेन्द्र घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–वीरेन्द्र 3–ऋषिपाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 25 बण्डल तांबे का तार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त महेन्द्र के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त वीरेन्द्र के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग एवं अभियुक्त ऋषिपाल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महेन्द्र निवासी छोटी सराय थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2–वीरेन्द्र निवासी महाराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3–ऋषिपाल निवासी महाराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 25 बण्डल तांबे का तार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद एटा/थाना जलेसर</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2024 की रात्रि थाना जलेसर व एंटी व्हीकल थैफ्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढ़ी रामलाल तिराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1–अखिलेश 2–गुड्डू 3–शीलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अखिलेश के विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जलेसर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अखिलेश निवासी नगला गोकुल थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

2–गुड्डू निवासी असरौली थाना देहात जनपद एटा।

3–शीलेश निवासी नगला गोकुल थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि।

जनपद जौनपुर/थाना शाहगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29/30.09.2024 को थाना शाहगंज, थाना खुटहन, थाना सरपतहां की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निजमापुर से शाहगंज की तरफ जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आसिफ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर, आजमगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आसिफ निवासी हसनाडीह सोफीगढ़ थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद इटावा/थाना जसवंतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 23–23 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अभिषेक 2–राहुल 3–मोन्टी उर्फ हर्ष 4–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 23–23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बैरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बैरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जयप्रकाश 2–प्रेमप्रकाश उर्फ राजा को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना घोसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/363 भादवि व 18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बलवन्त कुमार उर्फ राजा को आजीवन कारावास व 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कछौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कछौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/504 भादवि व 5एम/6

पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कुलदीप को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना मदनापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना मदनापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/506/308 भादवि व 5छ/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शिवम 2–जितेन्द्र 3–बन्टी उर्फ प्रेमसिंह को कठोर आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना बेनीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना बेनीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद आजमगढ़/थाना बरदह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक उर्फ टेल्हू को आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को कठोर आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना सिंधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सिंधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुखलाल को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————